

भारत में न्यायिक नयुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली

स्रोत: दृष्टि

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **कॉलेजियम प्रणाली** द्वारा अनुशंसति दो नए न्यायाधीशों की नयुक्तियों के साथ 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत शक्ति प्राप्त कर ली है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- **परिचय:** यह भारत की न्यायिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नयुक्तितथा स्थानांतरण** किया जाता है।
 - यह **प्रत्यक्ष संवधान में उल्लिखित प्रावधान** नहीं है, बल्कि **सर्वोच्च न्यायालय** के ऐतिहासिक नरिण्यों, विशेष रूप से 'तृतीय न्यायाधीश मामले' से विकसित हुआ है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश केस (1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नयुक्ति में संवधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 में प्रयुक्त 'परामर्श' शब्द का अर्थ 'सहमति' नहीं है।
 - इस नरिणय ने न्यायिक नयुक्तियों में कार्यपालिका (Executive) को न्यायपालिका पर वरीयता दी।
- **द्वितीय न्यायाधीश केस (1993):** सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश मामले को पलटते हुए कहा कि न्यायिक नयुक्तियों में 'परामर्श' का अर्थ वास्तव में 'सहमति' है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि न्यायाधीशों की नयुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सलाह **राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी** होगी। यह सलाह देने से पहले CJI को अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करना होगा।
 - इस नरिणय ने **कॉलेजियम प्रणाली** की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे न्यायाधीशों की नयुक्ति में न्यायपालिका को प्राथमिकता मिली।
- **तृतीय न्यायाधीश केस (1998):** सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम का वस्तितार करते हुए कहा कि इसमें CJI के साथ न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होंगे।
- **कॉलेजियम की संरचना:**
 - **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम:** CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।
 - **उच्च न्यायालय कॉलेजियम:** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
 - **सरकार की भूमिका:** सरकार आपत्तियों दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा दोहराता है तो नयुक्तियों बाध्यकारी होती हैं।

न्यायाधीशों की नयुक्तिका संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके की जाती है।
- **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है।
- **तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127):** यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध न हो, तो CJI राष्ट्रपति की सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।
- **कार्यवाहक CJI (अनुच्छेद 126):** रक्ति/अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- **सेवानवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128):** राष्ट्रपति की सहमति से, CJI किसी सेवानवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नरिदष्टि अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- **नयुक्ति प्रक्रिया:**

- **CJI:** सेवानिवृत्त होने वाले CJI अपने उत्तराधिकारी की अनुशंसा करते हैं, जो प्रायः वरिष्ठता के आधार पर होता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:** CJI, **कॉलेजियम सदस्यों** और उम्मीदवार के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करके अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उनके विचार लिखित रूप में दर्ज किये जाते हैं।
 - कॉलेजियम की अनुशंसा वधिमंत्री को भेजी जाती है और फिर प्रधानमंत्री को, जो **राष्ट्रपति को** नियुक्ति के लिये सलाह देते हैं।
- **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश:** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है।
 - **अवर न्यायाधीशों (Puisne Judges)** की नियुक्तिकी प्रक्रिया भी यही है, अंतर केवल इतना है कि संबंधित **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** से भी परामर्श किया जाता है।





कॉलेजियम सिस्टम

- ◊ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- ◊ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- ◊ अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - ◊ राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- ◊ लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- ◊ **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
 - ◊ इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
 - ◊ इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- ◊ **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
 - ◊ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
 - ◊ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- ◊ **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
 - ◊ राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- ◊ यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- ◊ NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- ◊ लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- ◊ अपारदर्शिता
- ◊ भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- ◊ कार्यपालिका का बहिष्करण
- ◊ नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं



नयुक्तिकी कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष और वपिक्ष में तरक क्या हैं?

पक्ष में तरक:

- **शक्तियों का पृथक्करण:** यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और वधायिका से स्वतंत्र बनाए रखता है। न्यायाधीश बना भय, दबाव या हस्तक्षेप के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, जिससे [शक्तियों के पृथक्करण \(अनुच्छेद 50\)](#) के सिद्धांत की रक्षा होती है।
- **न्यायिक अखंडता का संरक्षण:** वरिष्ठ न्यायाधीश संभावित न्यायाधीशों की वधिक दक्षता, ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने की सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं।
 - न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों का चयन करना न्यायपालिका को एक संस्था के रूप में उसकी गरमा और स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक होता है।
 - कॉलेजियम प्रणाली नयुक्तियों में भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करती है।

वपिक्ष में तरक:

- **पारदर्शिता का अभाव:** यह प्रणाली मुख्यतः गोपनीय तरीके से कार्य करती है और इसमें कोई प्रकाशित प्रक्रिया या वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं है। इससे भाई-भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा मल सकता है (जैसे प्रायः 'अंकल जज सडिरोम' कहा जाता है)।
- **शक्तिका दुरुपयोग:** कॉलेजियम प्रणाली कुछ न्यायाधीशों के हाथों में शक्तिका केंद्रीकरण कर देती है, जिससे न्यायिक नयुक्तियों में अनयित्तरति अधिकार को लेकर चला बढ़ती है।
- **समुदायों का असमान प्रतनिधित्व:** आँकड़ों से न्यायिक नयुक्तियों में महत्वपूर्ण असमानता का पता चलता है, जिसमें **79% उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2018-2022)** उच्च जातिका पृष्ठभूमि से हैं, जबकि हाशयि पर रहने वाले समुदायों का प्रतनिधित्व कम है।
 - **सर्वोच्च न्यायालय में** महिलाओं की संख्या केवल **4%** है। इसके अतरिक्त, वर्ष 2024 में उच्च न्यायालयों में 331 न्यायिक रक्तियाँ थीं, जो कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत नयुक्तियों में देरी को दर्शाती हैं।
- **राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्त आयोग (NJAC):** यह भारत में प्रस्तावति एक संवैधानिक नकाय था, जसि [99वाँ संवधान संशोधन अधनियम, 2014](#) के तहत स्थापति किया गया था। इसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को प्रतस्थापति करके एक अधिक पारदर्शी और योग्यता-आधारति प्रक्रिया लाना था।
 - हालाँकि, **सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रकिरड एसोसिएशन** बनाम भारत संघ (सामान्यतः चौथे न्यायाधीश मामले, 2015 के रूप में जाना जाता है) में सर्वोच्च न्यायालय ने **99वें संवधान संशोधन और NJAC** को असंवैधानिक तथा न्यायिक स्वतंत्रता के लयि खतरा मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि न्यायिक नयुक्तियों में अधिक कार्यकारी भागीदारी की अनुमतता प्रदान करते थे।

नषिकर्ष:

यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली पर समय-समय पर आलोचना की गई है, फरि भी यह भारत की न्यायिक स्वतंत्रता की आधारशला बनी हुई है। इसमें संतुलन और नयित्तरण की व्यवस्था, पारदर्शिता में वृद्धति तथा योग्यता-आधारति नगिरानी को शामिल करके इसे और अधिक मज़बूत बनाया जा सकता है, साथ ही यह सुनश्चित करना होगा कयिह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र रहे।

प्रश्न: भारत में न्यायिक नयुक्तियों न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक वविादति क्षेत्र बनी हुई है। कॉलेजियम प्रणाली के विकास और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वधिर कीजयि: (2019)

1. भारत के संवधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2. भारत के संवधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वखिंडति कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतकिर्मण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न:-

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/collegium-system-of-judicial-appointments-in-india>

